संख्या-730/2017/1147/22-2-2017-17(269)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बच्चू यादव पुत्र श्री सुन्दर लाल, निवासी जनपद-हमीरपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/ (एम0 02.05.2017) दिनांक-22.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी बच्चू यादव पुत्र श्री सुन्दरलाल, निवासी-खन्ना, थाना-खन्ना, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है। दिनांक 02-03-1989 को समय 05:00 बजे रामफल की पत्नी राजरानी व उसका 06 वर्षीय पुत्र चारा लेने खेत में गये थे। बन्दी हंसिया लेकर आया तथा राजरानी को बुरी नीयत से पकड़ा, विरोध करने व शोर मचाने पर हंसिया से वार कर उसकी हत्या कर दी तथा लड़के द्वारा अपनी मां को बचाने का प्रयास करने पर उसे भी हंसिये से मारकर घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-109/1989 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 09.12.1991 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19-08-1993 द्वारा उक्त सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2017 तक 25 वर्ष 02 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 32 वर्ष 11 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। दिनांक 05-01-2017 तक बन्दी की आयु 55 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक एव जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। मा0 पीठासीन अधिकारी ने अपने अभिमत में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। सलाहकार समिति द्वारा बन्दी के नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। दिनांक 02-03-1989 को समय 05:00 बजे रामफल की पत्नी राजरानी व उसका 06 वर्षीय पुत्र चारा लेने खेत में गये थे। बन्दी हंसिया लेकर आया तथा राजरानी को बुरी नीयत से पकड़ा, विरोध करने व शोर मचाने पर हंसिया से वार कर उसकी हत्या कर दी तथा लड़के द्वारा अपनी मां को बचाने का प्रयास करने पर उसे भी हंसिये से मारकर घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा किये गये विरोध तथा मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बच्चू यादव पुत्र श्री सुन्दर लाल को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी बच्चू यादव (बन्दी संख्या-4269/01) पुत्र श्री सुन्दर लाल, निवासी जनपद-हमीरपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-730/2017/1147(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।